न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः– श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 19/2017

1– धर्माराम
2– रामुराम
} पुत्रगण नानकराम जाति जाट निवासी अमृतवासी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

अपीलान्टान्

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

रेस्पोडेन्ट

::अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :–

1– अपीलान्ट की ओर से – श्री चन्द्रप्रकाश सारस्वत अधिवक्ता
2– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय दिनांक 26.03.2019

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के आदेश दिनांक **08.11.2013** से व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून, उसूल, प्रकृतिक न्याय एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के आदेश दिनांक **08.11.2013** निरस्त फरमाया जावें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेण्ट स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड मंगवाया जाकर मामले के गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस है कि हल्का पटवारी बिग्गा बास, रामसर की छपे–छपाये रिपोर्ट कि अपीलान्ट ने ग्राम अमृतवासी के खसरा नम्बर **25** की तादादी 5.21 हैक्टयर गैर मुमकिन जोहड़ पायतन भूमि में से **0.05 हैक्टयर** भूमि पर नाजायज कब्जा कर कच्चा झौंपड़ा बना कर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण को धारा 91 भू. राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया। अपीलार्थीगण नें उक्त नोटिस का जवाब एवं खसरा नम्बर 25 या अन्य किसी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने संबंधित कागजात पेश किये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब व कागजात को नहीं मानते हुवे अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में जैर अपील निर्णय पारित किया है। अपीलार्थीगण

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

ने जहां अपना मकान बना रखा है, वह ग्राम अमृतवासी की आबादी भूमि है जिस पर पिछले 40 वर्षो से अधिक समय से काबिज है। अपीलार्थीगण अपने काफी पुराना मकान में परिवार सहित पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से निवास कर रहे है। अपीलार्थीगण को जिस भूमि का अतिक्रमी बताया गया है, उस पर अपीलार्थीगण व उसके पूर्वज पीढ़ियों से निवास कर रहे है। अपीलार्थीगण के व उसके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से राशन कार्ड, वोटर आई.डी. आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजात से साबित होता है कि प्रार्थीगण की रिहायश काफी पुरानी है और उनका मकान गांव की आबादी में है। अपीलार्थीगण ने जोहड़ पायतन की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि वे आबादी भूमि पर मकान बना कर रिहायश कर रहे है। मकान के आसपास ग्रामवासियों के मकान बने हुए है, जो 50 साल से भी ज्यादा समय से पूर्व के बने हुए है जहां उनमें निवास करते है। अपीलार्थीगण के गांव में ज्यादातर लोग जो आबादी भूमि में मकान बना कर रिहायश कर रहे है, उनके पट्टे नहीं बने हुए। इसलिए अपीलार्थीण ने भी पट्टे हेतु आवेदन नहीं किया, इससे यह जाहिर है कि अपीलार्थीगण ने किसी भी सरकारी भूमि या जोहड पायतन पर नाजायज कब्जा नहीं किया है। अपीलार्थीगण के ग्राम अमृतवासी व सुरजनवासी तथा ग्राम बिग्गाबास रामसर की पैमाईश की रिपोर्ट दिनांक 15.1.2016 को हल्का पटवारी, आईएलआर, एन.टी.ओ निरीक्षक, भूप्रबन्ध विभाग आदि अधिकारियों द्वारा मौका पर पैमाईश कर रिपोर्ट बनाई गई। उक्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम अमृतवासी के खसरा नं. 25 गैर मुमकिन जोहड़ पायतन के नक्शें के अनुसार जरीब चला कर सीमाज्ञान करवाया गया और ग्राम सुरजनवासी के खसरा नं. 24 के कांकड़ से ग्राम अमृतवासी के खसरा नं. 25 की सीमा को नापा गया तो दोनों की सीमाएं मिलती नहीं है, दोनों की सीमाओं में काफी दूरी है। जबकि नक्शें के मुताविक अमृतवासी के खसरा नं. 25 तथा सुरजनवासी के खसरा नं. 24 की सीमाऐं कांकड़ के रूप में आपस में मिलती है। जबकि मौके पर दोनों सीमाओं के मध्य काफी दूरी बताई गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई मौका रिपोर्ट नहीं ली, ना ही मौके पर जाकर पूछताछ की, गावं के बुजुर्ग व्यक्तियों एवं पड़ोस में स्थित घरों के लोगों के बयान लेना, ना ही गांव की पूरी आबादी के नक्शा आदि कागजात की जांच की गई। जैर अपील निर्णय अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में किया गया है जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक 19.05.2017 को तब हुई जब तहसील कर्मचारी ने अपीलार्थीगण को अतिक्रमण हटाने बाबत नोटिस दिया और उन्हे कहा कि तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ का आदेश है कि आपको घर से बेदखल किया जावे और पेनल्टी वसूल की जावे। जिस पर अपीलार्थीगण तहसील कार्यालय आये और

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

रिकार्ड ढूढने पर उनके विरूद्ध हुए जैर अपील निर्णय की जानकारी मिली जिस पर अपीलार्थीगण बिना समय बर्बाद किये, माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। जो मियाद अन्दर शुमार फरमाई जावे । विद्वान अधिवक्ता ने अन्त में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एक छपे–छपाये प्रफोर्मा में दिया गया है, इस प्रकार निर्णय, निर्णय की की परिभाषा में नहीं आता, इस वजह से भी काबिल खारिजी है। अतः अपील अन्दर मियाद मियाद शुमार करते हुवे अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जावें एवं तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ आदेश दिनांक 08.11.2013 निरस्त फरमाया जावें ।

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि पटवारी हल्का बिग्गा बास रामसरा द्वारा धारा 91 के तहत इस आश्य की रिपोर्ट पेश की गई कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम अमृतवासी के खसरा नम्बर 25 तादादी 5.21 गैर मुमकीन जोहड़ पायतन भूमि में से 0.05 हैक्टयर **भूमि पर संवत 2070 में कच्चा झोपड़ा मय बाड़ा बनाकर** अतिक्रमण किये जाने पर लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा गैर सायल को नोटिस भेजा गया। गैर सायल को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया। गैर सायल का जवाब है कि प्रार्थीगण ने ग्राम अमृतवासी के खसरा नम्बर 25 तादादी 5.21 हैक्टेयर में से 0.05 हैक्टेयर सरकारी भूमि पर कोई अनाधिकृत कब्जा नहीं कर रखा है नोटिस कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप फरमावें। गैर सायल द्वारा न्याय संगत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने व साक्ष्य साबूत आदि के अभाव में संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित कर 50 गुणा तावान की शास्ति से आरोपित किया गया व भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिया गया है। अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन जोहड़ पायतन दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत अपीलाधीन प्रकरण की भूमि सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि होने के कारण यह भूमि आवंटन/नियमन के लिए प्रतिबंधित किस्म की भूमि है। अपीलाधीन प्रकरण की भूमि अब्दुल रहमान बनाम सरकार में राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा दिये गये निर्णय से प्रभावित भूमि होने के कारण यह भूमि आवंटन/नियमन के लिये प्रतिबंधित किस्म की भूमि है। अपील मात्र राजकीय कीमती सरकारी भूमि को हड़पने की नियत से की गई है। अपीलान्ट गैर मुमकीन जोहड़ पायतन भूमि पर अतिक्रमण करने का दोषी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुवे विलम्ब के संबंध में नरम रुख अपनाते हुवे विलम्ब को क्षम्य् किया जाना उचित समझते हुवे धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुवे विलम्ब को क्षम्य् किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का ने गैर सायल को अतिक्रमी मानते हुवे रिपोर्ट पेश की है। इस आधार पर गैर सायल के विरूद्ध भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गैर मुमकीन जोहड़ पायतन पर अवैध रुप से कब्जा कर अतिक्रमण किया है, के विरूद्ध अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित किया जाकर लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित की गई है। राजस्व रिकार्ड में प्रश्नगत भूमि गैर मुमकीन जोहड़ पायतन दर्ज है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड में वादगत भूमि गैर मुमकीन जोहड़ पायतन दर्ज भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा मानते हुवे बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये है। ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को विधि विरूद्ध नहीं ठहराया जा सकता। मामले के अद्योपरान्त अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि इस मामले में अपीलाण्ट द्वारा गैर मुमकीन जोहड़ पायतन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किये जाने के कारण ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा बेदखली के आदेश पारित किये है। माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऐसे प्रकरणों में गैर मुमकीन जोहड़ पायतन भूमि पर किये गये अतिक्रमणों को गैर कानूनी करार दिया है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो कि अपीलान्ट गैर मुमकीन जोहड़ पायतन पर काबिज नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत् होने के कारण हमें इसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है ।

6. निर्णय आज दिनांक 26.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।

(एच. गौरी)
अति.जिला कलक्टर,(प्रशा.)
बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner